



2026:AHC:125166

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5520 वर्ष 2026

विपिन @ विपिन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के. राय की बात सुनी गई।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 26 वर्ष 2026, धारा 191(3), 190, 121(1), 132, 126(2), 109(1), 131, 125, 351(2), 324(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना-कोटवाली चंदापा, जिला-हाथरस में मुकदमे की लंबितता के दौरान अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. यह निवेदन किया जाता है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी धन्नु उर्फ अभिमन्यु, पिंकी, आसिफ मलिक और रामप्रसाद उर्फ रामपा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2026, 25.03.2026, 18.03.2026 और 20.03.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2322 वर्ष 2026, आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2299 वर्ष 2026, आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2264 वर्ष 2026 और आपराधिक विविध अग्रिम जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन संख्या 2134 वर्ष 2026 में पारित आदेशों के माध्यम से अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी धन्नु उर्फ अभिमन्यु, पिकी, आसिफ मलिक और रामप्रसाद उर्फ रामपा के समान है, जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को भी अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किए जाने का डर है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है, तथा प्रकरण के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-विपिन उर्फ विपन को आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती सहित व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:-

(i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तिथि पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करना होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

3 जून, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स)